पत्रांकः— वि०को० / वि०र०महा० / 45 / 12.......

बिहार सरकार,

शिक्षा विभाग,

प्रेषकः—

सीताराम सिंह,
निदेशक, (उ०शि०)।

सेवा में,

कुलसचिव,
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक............./............./2013

विषयः— वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात् संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारियों को वितीय वर्ष 2011—12 में गैरयोजनागत उपलब्ध करायी गयी स्वीकृत सहायक अनुदान की राशि की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि राज्य सकरार ने अर्हता प्राप्त संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारियों को सहायक अनुदान हेतु कुल राशि 77,88,58,000 / — (सतहतर करोड़ अठ्ठासी लाख अनठावन हजार) रूपये मात्र राज्यादेश सं०—14 / एम—7—09 / 2009 के पत्रांक 31 दिनांक 27.09.11 के द्वारा स्वीकृत राशि से इस शर्त्त के साथ विमुक्त करने की कृपा की है कि उक्त राज्यादेश की कंडिका 02 से 08 तक में अंकित शर्त्तों का अनुपालन राज्य के संबंधित सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों द्वारा भुगतान करते समय दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जायगा। उपर्युक्त राशि की विमुक्ति विश्वविद्यालय / महाविद्यालय स्तर पर तदनुसार संधारित अलग—अलग खातों के माध्यम से भुगतान निम्न रूप से सुनिश्चित किया जायगा।

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष 2011—12 में संबध डिग्री महाविद्यालयों के शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारियों के भुगतान हेतु विमुक्त की जा रही राशि
1	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	4,93,66,100 / —
2	बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	1,49,27,000 / —

2. उपर्यक्त राज्यादेश के द्वारा स्वीकृत राशि विश्वविद्यालय शिक्षा कोष नामक पी०एल०खाता में जमा है। अतः इसकी निकासी शीर्ष—"8448—स्थानीय निधियाँ की जमा (व्यय)—110—शिक्षा—निधियाँ—विपत्र कोड—एल—84480011—00001" से होगी एवं उक्त शीर्ष से निकासी करने हेतु अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

3. वर्त्तमान में स्वीकृत सहायक अनुदान का किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जायगा। संबंधित महाविद्यालयों को भुगतान के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ एक प्रमाण पत्र संलग्न किया

जायगा कि विभागीय संकल्प एवं निदेशों के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सहायक अनुदान का भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

4. स्वीकृत एवं आवंटित की गयी राशि इस पत्र के साथसंलग्न तालिका के अनुसार वर्णित राशि अंकित महाविद्यालयों को एक सप्ताह के अन्दर विमुक्त की जाय। यह राशि महाविद्यालयों के "संबंद्ध महाविद्यालयों को अनुदान" नामक खाते में दी जाय। अनुदान की राशि का भुगतान स्वीकृत/अनुशंसित पद के विरूद्ध कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के भुगतान के लिये ही होगा तथा इन कर्मियों को भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से ही महाविद्यालय द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायगा। इसके लिये महाविद्यालय द्वारा "संबद्ध महाविद्यालयों का अनुदान" नामक अलग खाते में राशि रखी जायगी एवं इस राशि के लिये अलग से रोकड़ बही का संधारण होगा तथा राशि का किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जायगा। महाविद्यालयों को राशि विमुक्त/वितरण करने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर वित्त विभाग एवं विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5 महाविद्यालय द्वारा सहायक अनुदान की प्राप्ति की तिथि से दो माह के अन्दर तक वित्त विभाग एवं विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से राज्य के विश्वविद्यालयों द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 की धारा 56 से 60 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रावधान का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

7. विभागीय पत्र सं०–14/एम–7–09/2009 के पत्रांक 31 दिनांक 27.09.11 के आलोक में विमुक्त की जा रही राशि भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ECS के द्वारा स्थित भारतीय स्टेट बैंक बेली रोड शाखा, पटना के माध्यम से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को स्टेट बैंक में सधारित खाता में राशि स्थानांतरित की जायगी।

8. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अधिकार होगा कि इस स्वीकृत एवं विमुक्त अनुदान राशि का अंकेक्षण करें।

विश्वासभाजन
ह०/–
(सीताराम सिंह)
निदेशक, (उ०शि०)

ज्ञापांकः– वि०को०/वि०र०महा०/45/12–106, पटना, दिनांक 08/08/2013

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हक) बिहार पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना/संबंधित विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी एवं वित्त पदाधिकारी/सभी उप शिक्षा निदेशक/अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रभारी वित्त रहित कोषांग, शिक्षा विभाग/वेबसाईट कोषांग, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–5, 14 एवं 15 उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग/सभी सहायक तथा लेखापाल (उ०शि०), शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (उ०शि०)
8/8/13